वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 21.11.2025 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर"अमर उजाला, राष्ट्रीय सहारा, आज, न्यायाधीश," समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

अमर उजाला–दि0 21.11.2025

72 भवन स्वामियों और 28 नोटिस की सुनवाई

वाराणसी। वीडीए सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा ने बृहस्पतिवार को नोटिस और मानचित्र निस्तारण कैंप में जनसुनवाई की। नियोजन अनुभाग ने 11 मानचित्रों का निस्तारण किया। 3 नए शमन मानचित्र आवेदन मिले। इस पर नियमानुसार कार्रवाई शुरू कर दी गई। लंबित मानचित्रों में से 7 को स्वीकृति दी की। 72 भवन स्वामी समस्या लेकर आए। 28 नोटिस के मामलों की सुनवाई हुई। सचिव ने कहा कि मानचित्र आपत्तियां, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से प्राप्त होने वाली सभी प्रकार के प्रार्थनापत्रों का तत्काल निस्तारण किया जाए। विशेष रूप से यह भी निर्देश दिया कि जिन मानचित्रों को तकनीकी, नियमों के अनुपालन न होने के कारण रिजेक्ट किया गया है। ब्यूरो

राष्ट्रीय सहारा–दि0 21.11.2025

28 नोटिस प्रकरणों की हुई सुनवाई

वाराणसी। वीडीए सभागार में सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा की अध्यक्षता में 'नोटिस सुनवाई एवं मानचित्र निस्तारण कैम्प' का आयोजन किया गया। इस दौरान 72 भवन स्वामी उपस्थित हुए तथा 28 नोटिस प्रकरणों की सुनवाई की गई। कैम्प का उद्देश्य भवन स्वामियों से प्राप्त मानचित्रों, नोटिसों तथा शमन से संबंधित प्रकरणों का त्वरित, पारदर्शी एवं प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित करना था। सचिव ने कैम्प के दौरान उपस्थित सभी अनुभागों को निर्देशित किया कि मानचित्र आपत्तियां, ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यमों से प्राप्त होने वाली सभी प्रकार की (प्रार्थना पत्रों) का तत्काल निस्तारण किया जाए। उन्होंने विशेष रूप से यह भी निर्देश दिया कि जिन मानचित्रों को तकनीकी अथवा नियमों के अनुपालन न होने के कारण रिजेक्ट किया गया है, उन पर संबंधित प्रवर्तन टीम द्वारा आवश्यक विधिक एवं ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। कैम्प के दौरान कुल 11 मानचित्रों का निस्तारण किया गया। कैम्प में तीन नए शमन मानचित्र आवेदन प्राप्त हुए, जिन पर नियमानुसार कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। पूर्व में लंबित मानचित्रों में से सात मानचित्रों को स्वीकृति प्रदान की गई।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी
राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002
Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

न्यायाधीश–दि0 21.11.2025

सचिव डॉ वेद प्रकाश मिश्रा द्वारा 'नोटिस सुनवाई एवं मानचित्र निस्तारण कैम्प' का जनसुनवाई किया गया

वाराणसी विकास प्राधिकरण के सभागार में उपाध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार सचिव महोदय डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा की अध्यक्षता में 'नोटिस सुनवाई एवं मानचित्र निस्तारण कैम्प' का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। कैम्प का उद्देश्य भवन स्वामियों से प्राप्त मानचित्रों, नोटिसों तथा शमन से संबंधित प्रकरणों का त्वरित, पारदर्शी एवं प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित करना था।सचिव महोदय ने कैम्प के दौरान उपस्थित सभी अनुभागों को निर्देशित किया कि मानचित्र आपत्तियां, ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यमों से प्राप्त होने वाली सभी प्रकार की (प्रार्थनापत्रों) का तत्काल निस्तारण किया जाए। उन्होंने विशेष रूप से यह भी निर्देश दिया कि जिन मानचित्रों को तकनीकी अथवा नियमों के अनुपालन न होने के कारण रिजेक्ट किया गया है, उन पर संबंधित प्रवर्तन टीम द्वारा आवश्यक विधिक एवं ध्वस्तीकरण (डिमोलिशन) की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।कैम्प के दौरान विभिन्न अनुभागों द्वारा की गई प्रमुख कार्यवाहियाँ निम्नलिखित रहीं– नियोजन अनुभाग द्वारा कुल 11 मानचित्रों का निस्तारण किया गया।कैम्प में 03 नए शमन मानचित्र आवेदन प्राप्त हुए, जिन पर नियमानुसार कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है।पूर्व में लंबित मानचित्रों में से 07 मानचित्रों को स्वीकृति प्रदान की गई।मानचित्र एवं नोटिस से संबंधित सुनवाई में कुल 72 भवन स्वामी उपस्थित हुए तथा 28 नोटिस प्रकरणों की सुनवाई की गई।इस व्यापक जनसुनवाई अभियान में सहायक नगर नियोजक श्री सौरभ जोशी, पाँचों जोनों के जोनल अधिकारी, अवर अभियंता, लिपिकगण, तथा नियोजन, आवाप्ति, सीलिंग एवं विधि अनुभाग के समस्त कार्मिक उपस्थित [illegible] और उन्होंने अपने-अपने स्तर [illegible] कार्यवाही को सुचारू रूप देते हुए कैम्प को सफल बनाया।प्राधिकरण द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि मानचित्रों एवं नोटिसों के निस्तारण की प्रक्रिया को और अधिक सुदृढ एवं त्वरित बनाया जाए। इसी क्रम में निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक बृहस्पतिवार को वाराणसी विकास प्राधिकरण सभागार में नियमित रूप से 'नोटिस सुनवाई एवं मानचित्र निस्तारण कैम्प' का आयोजन किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य भवन स्वामियों को एक ही स्थान पर पारदर्शी और समयबद्ध समाधान उपलब्ध कराना तथा शहर में सुव्यवस्थित शहरी विकास को प्रोत्साहित करना है।

आज–दि0 21.11.2025

मानचित्र सुनवाई में ११ का हुआ निस्तारण

विप्रा सचिव डाक्टर वेद प्रकाश मिश्र ने गुरुवार को सभागार में साप्ताहिम नोटिस सुनवाई एवं मानचित्र निस्तारण कैंप का नेतृत्व किया। इस दौरान कुल ११ मानचित्रों का निस्तारण किया गया। तीन नये शमन मानचित्र आवेदन किये गये जिसपर नियमानुसार काररवाई के लिए संबंधित विभाग को भेज दिया गया। इससे पूर्व सात मानचित्रों पर जो कि लंबित थे उसका मौके पर निस्तारण किया गया। कैंप में कुल ७२ भवन स्वामी उपस्थित थे जिसमें २८ नोटिस प्रकरण के विषय में सुनवाई की गयी। इस अवसर पर सचिव ने निर्देश दिया कि जिन मानचित्रों की तकनीकी एवं नियमों के अनुपालन न होने से रिजेक्ट कर दिया गया वहां पर ध्वस्तीकरण काररवाई की जाय। बैठक में अधिकतर जोनल अधिकारी, अवर अभियंता, सहायक अभियंता, लिपिक और अन्य लौग मौजूद थे।